डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2001--चैत्र 7, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र.-II सन् 1915) को संशोधन करने हेतु विधेयक

यह भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

2. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

धारा 61-घ का संशोधन.

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61-घ की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने की प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61-घ की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के समुदाय को उनके द्वारा विनिर्मित की गई देशी मदिरा 4.5 लीटर प्रति सदस्य, 15 लीटर प्रति परिवार और 45 लीटर प्रति परिवार सामाजिक तथा धार्मिक अवसरों के लिये रखने हेतु प्राधिकृत किया गया था. राज्य आदिवासी मंत्रणा परिषद् ने यह विचार व्यक्त किया है कि उक्त उपबंध जिस मंशा से प्रभावशील किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हुई है. अतएव जनजाति समुदाय के हित में इसकी आवश्यकता महसूस की गई है कि उपरोक्त उपबंध को संशोधित किया जाए.

अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक 14 मार्च, 2001

रामचन्द्र सिंह देव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1918 की धारा 61-घ की उपधारा (2) का खण्ड (तीन)

(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति गृहस्थी 15 लीटर तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति गृहस्थी 45 लीटर होगी, परन्तु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.